**अपील संख्या 177/2017 एल आर एक्ट**
**अनवान मनोज सिहं वगेरह बनाम सन्तो वगैरह**

| .तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज | नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ |
|---|---|---|
| 09—07—2019 | पत्रावली राजीनामा के प्रार्थना पत्र आदेश बाबत पेश हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने राजीनामा के प्रार्थना पत्र पर अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के बीच लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर ने अपने निर्णय दिनाक 2.7.14 द्वारा ईन्तकाल नं. 143,144,196,एव 197 जो ग्राम पचायत चक 4 डी. डब्ल्लू एम द्वारा दिनांक 13.5.13 को अपीलान्ट मनोज सिह के नाम से दर्ज किये गये है को खारिज कर दिये गये। अब अपीलान्ट की स्वीकार कर उन इंतकालो को कायम रखा जाता है तो रेस्पोडेन्ट नं. 1 सन्तो एव रेस्पोडेन्ट नं. 2 सरीफा को कोई आपत्ति नही है। अतः अपीलान्ट की अपील राजीनामा के आधार पर स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का निर्णय दिनांक 2.7.14 निरस्त कर ग्राम पंचायत द्वारा ईन्तकाल नं. 143,144,196, एव 197 अपीलान्ट मनोज सिह के नाम दर्ज किये है उनको कायम रखा जावें।<br>रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एव 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का समर्थन करते हुए कहा कि पक्षकारान का आपसी राजीनामा हो गया है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत चक 1 डी डब्ल्यूएम प.स.रावतसर का इन्तकाल संख्या 143, 144 आदेश दिनांक 13.5.13 तथा चक 5 डी डब्लयूएम प. स. रावतसर का इन्तकाल संख्या 196 व 197 आदेश दिनांक 13.5.13 को यथावत रखा जाता है उन्हे कोई आपत्ति नही है।<br>राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है, वर्तमान में अपीलान्ट राजीनामा के आधार पर अपील स्वीकार करवाना चाहता है तो प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जा सकता है, जंहा पर राजीनामे की जांच हो सकेगी।<br>हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा पेश राजीनामा प्रार्थना पत्र एव पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया।<br>........................लगातार.............................. | |

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इस न्यायालय में यह अपील सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी रावतसर के आदेश दिनांक 02.07.2014 के विरूद्व पेश हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है वर्तमान में अभिभाषक अपीलान्ट राजीनामा के आधार पर अपील को विड्रा नही करवा कर अपील को स्वीकार करवाना चाहता है। पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी रावतसर का रिकार्ड अभितक प्राप्त नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बिना अवलोकन किये केवल राजीनामे के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपील को स्वीकार करना न्यायोचित नही है। अपील को स्वीकार करने के लिए उभय पक्ष को सुनकर एव रिकार्ड का अवलकोन कर के ही किया जा सकता है।

अतः प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) रावतसर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है सम्पूर्ण रिकार्ड की जांच कर प्रश्नगत स्टाम्प ड्यूटी संबधी विधी के प्रावधानो के परिपेक्ष्य मे पुन परीक्षण कर तथा सभी पक्षकारो को सुनकर राजीनामे की जांच कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ तहसीलदार (भू.अ.) रावतसर जिला हनुमानगढ का रिकार्ड वापिस लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर